

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में "मुख्यालय मण्डलीय अधिष्ठान" योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3428/स.क./लेखा-बजट/2017-18 दिनांक 13.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2225-01-001-03 मुख्यालय मण्डलीय अधिष्ठान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी.संख्या-51201150117 दिनांक 21.11.17 के द्वारा ₹17.00 लाख (रूपये सत्रह लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग / व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय मण्डलीय अधिष्ठान की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

संख्या: - 04 (1)/XVII-4/2018-10(11)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

- 1: लेखा शीर्षक 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
 001 - निदेशन तथा प्रशासन
 03 - मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान
 00 - मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	23305000	1450000	24755000
03 - महंगाई भत्ता	1398000	250000	1648000
04 - यात्रा व्यय	300000	0	300000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	1631000	0	1631000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	300000	0	300000
09 - विद्युत देय	300000	0	300000
10 - जलकर / जल प्रभार	17000	0	17000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की ख	220000	0	220000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200000	0	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	125000	0	125000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	550000	0	550000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1000000	0	1000000
18 - प्रकाशन	50000	0	50000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	170000	0	170000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	50000	0	50000
26 - मशीनों और सज्जा / उपकरण औ	100000	0	100000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपत्ति	330000	0	330000
42 - अन्य व्यय	50000	0	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	100000	0	100000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
	30646000	1700000	32346000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1700000

(महेन्द्र सिंह नेगी) 01.10

अनुभाग अधिकारी

समाज कल्याण अनुभाग-04